पत्रांकः 674/33–3–2014–43/2014

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बी0आर0जी0एफ0 जनपद – अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, बहराइच, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, बदायूं, चन्दौली, चित्रकूट, एटा, कासगंज, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, गोण्डा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महराजगंज, महोबा, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, संतकबीरनगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र एवं उन्नाव।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 09 अप्रैल, 2014

विषयः– पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 की वार्षिक जिला योजना तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि उ0प्र0 जिला योजना समिति अधिनियम, 1999 के प्राविधानों के अधीन गठित जिला योजना समिति द्वारा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की वार्षिक योजना अनुमोदित की जाती है। योजना में पूर्व निर्धारित मानकों के अनुसार जनपद के लिये एक वर्ष में निर्धारित धनराशि का 80 प्रतिशत पंचायतीराज संस्थाओं के लिये तथा 20 प्रतिशत नागर निकायों के लिए आरक्षित है। पंचायतीराज संस्थाओं के लिए आरक्षित 80 प्रतिशत में से 70 प्रतिशत ग्राम पंचायतों के लिए, 10 प्रतिशत क्षेत्र पंचायतों के लिये तथा 20 प्रतिशत जिला पंचायतों के लिये अनुमन्य है। इसी क्रम में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि जनपदों की वार्षिक योजना वर्ष 2014–15 की संरचना की जानी है। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013–14 में अनुमन्य धनराशि के अनुरूप ही वर्ष 2014–15 के लिये योजना को तैयार किया जाना है। भारत सरकार द्वारा अनुमन्य धनराशि का विवरण संलग्नक–1 तथा निकाय/पंचायतवार प्राविधानित धनराशि का विवरण संलग्नक–2 पर दिया गया है।

2. गत् वर्षों के अनुभव से यह तथ्य संज्ञान में आया है कि विभिन्न निकायों/पंचायतों द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं को महत्व न देते हुये व्यक्तिगत हितों के अनुरूप योजनायें अनुमोदित की जाती है, जिसके कारण पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि जैसी अतिमहत्वपूर्ण भारत सरकार की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का पूर्ण लाभ जनसामान्य को नहीं मिल पाता है। आप अवगत हैं कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का मुख्य उद्देश्य क्रिटिकल गैप्स को पूरा करना है। अतः वर्ष 2013–14 की वार्षिक जिला योजना तैयार किये जाने के सम्बन्ध में पत्रांक–4264/33–पी0एम0यू0–2013–465/2009 दिनांक 28 फरवरी, 2013 से

निर्गत मार्ग–निर्देशों को संज्ञान में लेते हुए वर्ष 2014–15 की वार्षिक जिला योजना तैयार किये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जाते हैं :–

(1) प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग–3 के शासनादेश सं0–1533/52–3–2013–सा(30)/2013 दिनांक 24.08.2013 द्वारा प्रसारित निर्देशों के क्रम में 20 प्रतिशत धनराशि का मात्राकरण अल्पसंख्यक समुदाय के विकास हेतु किया जायेगा। मात्राकृत अंश से योजना ऐसे क्षेत्र में लागू की जायेगी, जहां पर अल्पसंख्यक आबादी का अनुपात कम से कम 25 प्रतिशत हो तथा सर्वप्रथम वह क्षेत्र चिन्हित किया जायेगा जहां पर अल्पसंख्यक आबादी का अनुपात अधिकतम हो। अतः वर्ष 2014–15 में जनपद की वार्षिक कार्ययोजना बनाते समय त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नागर निकायों द्वारा कार्यों के चयन में इस शासनादेश का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।

(2) जिला पंचायतों की योजनाओं में अनजुड़ी बसावटों को एकल कनेक्टिविटी से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का निर्माण की योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये।

(3) ग्रामीण आन्तरिक मार्गों पर सी0सी0 रोड व के0सी0 ड्रेन का निर्माण कराते समय ग्राम पंचायतों के अंश की धनराशि का उपभोग सर्वप्रथम डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनानतर्गत चयनित ग्रामों में सी0सी0 रोड व के0सी0 ड्रेन का निर्माण कराने हेतु किया जाये तथा इस हेतु ग्राम पंचायत की वार्षिक योजना में इन ग्रामों का चयन सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जाये। इस योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों को निर्धारित मानकों के अनुरूप सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन के निर्माण से संतृप्त होंने पर ही, यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो अन्य ग्राम पंचायतों की योजनायें ली जाये।

(4) पाइप वाटर सप्लाई एवं मिनी पाइप वाटर सप्लाई (Tank Type Stand Post) की योजनाओं (विशेष रूप से जे0ई0/ए0ई0 एवं पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में) को भी वरीयता प्रदान की जाए।

(5) भारत सरकार के पत्र सं0 N-11019/25/2013-BRGF dt 04.10.2013 एवं 15.10.2013 द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि के मात्राकरण के संबंध में निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैं:–

"Subject-Earmarking a portion of the Development Grant Funds for skill Development Programmes.

3- The BRGF Guidelines (para 4.31 and Annex-4) accord priority for undertaking training schemes for educated youth of SC/ST in certain skills such as computers, repairs of mobile phones, driving, etc. It has now been decided to

extend this provision of imparting skill training to other segments of the population also.

4- It is suggested that Panchayats and Urban Local Bodies may be advised to consider earmarking a portion of the Development Grant funds under BRGF for undertaking training schemes for educated youth in skill development in fields which will enable the youth to be employed either on wage-basis or on self employment basis. It may be ensured that the plan continue to be prepared by the Panchayats and Urban Local Bodies and consolidated and approved by the District Planning Committees.

भारत सरकार के उक्त निर्देशों के क्रम में कौशल विकास कार्यक्रम हेतु नागर निकायों व जिला पंचायतों में कम से कम 5: धनराशि उक्त कार्यों हेतु मात्राकृत की जा सकती है।

3. यह भी अवगत कराना है कि पी0एम0यू0 के पत्रांक 4249/33–पी0एम0यू0–2013 –465/2009 दिनांक 25 फरवरी, 2013 से पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सचिवालय का निर्माण कराने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है जो कि यथावत् रहेगा।

3.1 उक्त के अतिरिक्त वार्षिक कार्ययोजना में सोलर लाइट तथा सोडियम लाइट लगवाने के कार्य नहीं लिये जायेंगे।

4. नागर निकायों द्वारा भी वार्षिक कार्ययोजना तैयार करते समय नगर निगम द्वारा उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 एवं नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों द्वारा उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्रों में क्रिटिकल गैप्स को चिन्हित कर वार्षिक कार्ययोजना तैयार की जाएगी। नागर निकायों द्वारा स्थानीय स्तर पर ''क्रिटिकल गैप्स'' के रूप में विकासात्मक आवश्यकताओं की प्राथमिकता निर्धारित करते हुये वरीयता क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा।

5. जिला परियोजना प्रबन्ध इकाई का यह दायित्व होगा कि उक्तानुसार चिन्हित ''क्रिटिकल गैप्स'' की पूर्ति हेतु परियोजनाओं के चयन के लिए प्रभावी रूप से सम्बन्धित पंचायतीराज संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाए। ऐसी योजना के प्रस्ताव को ही सम्मिलित किया जाए, जिसके लिए अन्य किसी योजना से धनराशि नहीं मिल रही है तथा बड़े समूह हित के लिए जिसकी उपादेयता है। यह ध्यान रखा जाए कि कुछ क्रिटिकल गैप्स इतने बड़े होते हैं कि उनकी पूर्ति के लिए अधिक धनराशि की आवश्यकता होती है और किसी बड़ी संस्था से ही उनका क्रियान्वयन कराया जा सकता है।

5.1 योजना बनाते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि वार्षिक योजना हेतु कुल अनुमन्य धनराशि में से अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए मात्राकृत धनराशि के सापेक्ष अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को लाभान्वित करने वाली परियोजनाएं अवश्य तैयार की जाए।

5.2 नियोजन विभाग द्वारा जनपद की वार्षिक जिला योजना तैयार किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत निर्देशों के अनुरूप बी0आर0जी0एफ0 की धनराशि हेतु तैयार की गई ग्राम पंचायत विकास योजना, क्षेत्र पंचायत विकास योजना, जिला पंचायत

विकास योजना एवं नगर निकाय विकास योजना को संकलित कर जनपद की वार्षिक योजना तैयार की जाएगी तथा इसको अनुमोदनार्थ जिला योजना समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

5.3 वार्षिक कार्ययोजना तैयार करते समय स्थानीय स्तर पर अन्य फ्लैगशिप कार्यक्रमों तथा राज्य सहायतित योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि को भी कन्वर्जेन्स के माध्यम से उपभोग करने का प्रयास किया जाएगा।

5.4 वार्षिक कार्ययोजना हेतु अनुमन्य धनराशि के सापेक्ष 25 प्रतिशत अधिक धनराशि की ही वार्षिक कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

अतः उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हुआ है कि उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए वर्ष 2014–15 की पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की वार्षिक जिला योजना तैयार कराकर जिला योजना समिति से अनुमोदित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव

संख्याः 674(1)/33–3–2014–...तद्दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, नियोजन/नगर विकास/समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, बी0आर0जी0एफ0 मण्डल।
5. निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0, लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
7. परियोजना निदेशक, परियोजना प्रबन्ध इकाई, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, उ0प्र0, लखनऊ।
8. निदेशक, पंचायतीराज (लेखा)/कोषाध्यक्ष, पी0एम0यू0, बी0आर0जी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ।
9. उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0 शासन।
10. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत), बी0आर0जी0एफ0 मण्डल ।
11. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, बी0आर0जी0एफ0 जनपद।
12. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बी0आर0जी0एफ0 जनपद, उ0प्र0।
13. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, बी0आर0जी0एफ0 जनपद, उ0प्र0।
14. पंचायतीराज अनुभाग–2 एवं 3, उ0प्र0 शासन।
15. गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,

(एच0एस0चतुर्वेदी)
विशेष सचिव।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि

जनपदवार अनुमन्य धनराशि का विवरण

(धनराशि करोड़ रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद	गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सबप्लान	अनुसूचित जनजाति सब प्लान	अनुसूचित जाति सब प्लान	योग
1	अम्बेडकरनगर	16.11	0.01	5.21	21.33
2	आजमगढ़	21.70	0.01	7.52	29.23
3	बहराइच	20.89	0.08	3.53	24.50
4	बलरामपुर	18.09	0.24	2.86	21.19
5	बांदा	17.32	0.00	4.56	21.88
6	बाराबंकी	18.67	0.02	6.87	25.54
7	बस्ती	17.37	0.00	4.58	21.95
8	बदायूं	22.90	0.00	4.72	27.62
9	चंदौली	15.33	0.00	4.92	20.25
10	चित्रकूट	13.18	0.00	4.71	17.89
11	एटा	17.72	0.00	3.53	21.25
12	फर्रूखाबाद	16.42	0.01	3.23	19.66
13	फतेहपुर	18.02	0.01	6.02	24.05
14	गोण्डा	21.45	0.00	3.99	25.44
15	गोरखपुर	21.90	0.01	6.20	28.10
16	हमीरपुर	15.41	0.01	4.55	19.97
17	हरदोई	20.27	0.00	9.26	29.53
18	जालौन	15.78	0.00	5.85	21.63
19	जौनपुर	22.84	0.00	6.42	29.26
20	कासगंज	16.08	0.00	3.49	19.57
21	कौशाम्बी	11.86	0.00	6.70	18.56
22	कुशीनगर	25.04	0.01	5.54	30.59
23	लखीमपुरखीरी	18.13	0.29	6.33	24.75
24	ललितपुर	15.41	0.00	5.12	20.53
25	महराजगंज	18.00	0.03	4.37	22.40
26	महोबा	12.96	0.00	4.50	17.46
27	मिर्जापुर	17.40	0.01	6.36	23.78
28	प्रतापगढ़	19.52	0.00	5.51	25.03
29	रायबरेली	18.50	0.02	7.87	26.39
30	संतकबीरनगर	14.64	0.00	3.94	18.58
31	श्रावस्ती	15.16	0.07	3.43	18.67
32	सिद्धार्थनगर	18.25	0.00	3.62	21.87
33	सीतापुर	20.48	0.00	9.58	30.06
34	सोनभद्र	13.86	0.01	10.01	23.88
35	उन्नाव	17.87	0.01	7.90	25.78
योग		**624.53**	**0.85**	**192.79**	**818.17**

संलग्नक–2

जनपदवार निकाय/पंचायतवार अनुमन्य धनराशि का विवरण

(धनराशि करोड़ रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	नगर निकाय (20%)	पंचायतीराज संस्थाएं (80%)			योग
			ग्राम पंचायत (70%)	क्षेत्र पंचायत (10%)	जिला पंचायत (20%)	
1	गोरखपुर	5.62	15.74	2.25	4.50	28.10
2	कुशीनगर	6.12	17.13	2.45	4.89	30.59
3	आजमगढ	5.85	16.37	2.34	4.68	29.23
4	अम्बेडकर नगर	4.27	11.94	1.71	3.41	21.33
5	बाराबंकी	5.11	14.30	2.04	4.09	25.54
6	चन्दौली	4.05	11.34	1.62	3.24	20.25
7	बहराईच	4.90	13.72	1.96	3.92	24.50
8	बलरामपुर	4.24	11.87	1.70	3.39	21.19
9	श्रावस्ती	3.73	10.46	1.49	2.99	18.67
10	महोबा	3.49	9.78	1.40	2.79	17.46
11	सोनभद्र	4.78	13.37	1.91	3.82	23.88
12	बस्ती	4.39	12.29	1.76	3.51	21.95
13	संतकबीरनगर	3.72	10.40	1.49	2.97	18.58
14	सिद्धार्थनगर	4.37	12.25	1.75	3.50	21.87
15	ललितपुर	4.11	11.50	1.64	3.28	20.53
16	चित्रकूट	3.58	10.02	1.43	2.86	17.89
17	बांदा	4.38	12.25	1.75	3.50	21.88
18	हमीरपुर	3.99	11.18	1.60	3.20	19.97
19	मिर्जापुर	4.76	13.32	1.90	3.80	23.78
20	गोण्डा	5.09	14.25	2.04	4.07	25.44
21	एटा	4.25	11.90	1.70	3.40	21.25
22	कासगंज	3.91	10.96	1.57	3.13	19.57
23	फतेहपुर	4.81	13.47	1.92	3.85	24.05
24	रायबरेली	5.28	14.78	2.11	4.22	26.39
25	प्रतापगढ़	5.01	14.02	2.00	4.00	25.03
26	बदायू	5.52	15.47	2.21	4.42	27.62
27	सीतापुर	6.01	16.83	2.40	4.81	30.06
28	हरदोई	5.91	16.54	2.36	4.72	29.53
29	उन्नाव	5.16	14.44	2.06	4.12	25.78
30	फर्रूखाबाद	3.93	11.01	1.57	3.15	19.66
31	महराजगंज	4.48	12.54	1.79	3.58	22.40
32	जौनपुर	5.85	16.39	2.34	4.68	29.26
33	लखीमपुर खीरी	4.95	13.86	1.98	3.96	24.75
34	कौशाम्बी	3.71	10.39	1.48	2.97	18.56
35	जालौन	4.33	12.11	1.73	3.46	21.63
	योग–	163.63	458.18	65.45	130.91	818.17